



ज़मानती बॉण्ड

प्रलम्ब के लिये:

ज़मानती बॉण्ड, आईआरडीएआई।


मेन्स के लिये:

ज़मानती बॉण्ड और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [बजट 2022-23](#) में सरकार ने सरकारी खरीद और सोने के आयात के मामले में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में ज़मानत बीमा बॉण्ड (Surety Insurance Bonds) के उपयोग की अनुमति दी है।

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भी भारत में 'स्योरटी इंश्योरेंस बिज़नेस' (Surety Insurance Business) के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने हेतु अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- 1 अप्रैल, 2022 से IRDAI (ज़मानत बीमा अनुबंध) दिशा-निर्देश, 2022 प्रभावी होंगे।



Lower Indirect Costs

The government aims to promote surety bonds as a substitute to bank guarantees in government procurements

This would help reduce indirect costs for suppliers and work contractors



IRDAI has said insurers can offer six types of sureties

- Advance Payment Bond
- Bid Bond
- Contract Bond
- Customs and Court Bond
- Performance Bond and Retention Money



Experts said the move may benefit insurers, but its success depends on the acceptance & the costs

//

ज़मानती बाँण्ड:

- ज़मानती बाँण्ड एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जिसमें तीन पक्षों द्वारा दर्ज किया जाता है- मुख्य, बाध्यकारी और ज़मानती।
 - बाध्यकारी पक्ष आमतौर पर एक सरकारी संस्था होती है, जिसको भविष्य के कार्य प्रदर्शन के खिलाफ गारंटी के रूप में ज़मानती बाँण्ड प्राप्त करने के लिये आमतौर पर एक व्यवसाय के मालिक या ठेकेदार की आवश्यकता होती है।
- ज़मानती बाँण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बाँण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना प्रदान कर रही है।
- ज़मानती बाँण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतरनहिती दायित्वों से वंचित करते हैं। वे नरिमाण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणज्यिक उपकरणों तक विभिन्न दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।

बजट में लिये गए नरिणय:

- एक नई अवधारणा के रूप में ज़मानती बाँण्ड काफी जोखमि भरा होता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखमि मूल्यांकन में विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई है।
- इसके अलावा मूल्य नरिधारण, डफिल्टिंग ठेकेदारों के वरिद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा विकल्पों पर कोई स्पष्टता नहीं है।
 - ये काफी महत्वपूर्ण वषिय हैं और ज़मानत से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के नरिमाण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंततः बीमाकर्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

यह अवसंरचना परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा देगा?

- ज़मानती अनुबंधों के लिये नयिम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- ज़मानती बीमा व्यवसाय, नरिमाण परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के विकल्प को विकसित करने में सहायता करेगा।
 - यह कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और नरिमाण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपारश्वक की आवश्यकता को कम करेगा।

- जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्त्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मलिकर काम करेंगे।
 - इसलिये यह जोखिम पहलुओं पर समझौता किये बना बुनयादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

ज़मानती बॉण्ड पर IRDAI दशा-नरिदेश

- नए दशा-नरिदेशों के अनुसार, बीमा कंपनयिों अब बहुप्रतीकषति ज़मानती बॉण्ड लॉन्च कर सकती हैं।
- IRDAI ने कहा है कएक वित्तीय वर्ष में सभी नशिचति बीमा पॉलसियिों के लिये लयिा गया प्रीमयिम, उन नीतयिों हेतु बाद के वर्षों में सभी कश्तों सहति उस वर्ष के कुल सकल लखिति प्रीमयिम के 10% से अधिक नहीं होना चाहयिे, जो कअधिकतम 500 करोड रुपए की सीमा के अधीन है।
- **भारतीय बीमा नयिमक और वकिस प्राधकिरण** (IRDAI) के अनुसार, बीमाकर्त्ता ज़मानती बॉण्ड जारी कर सकते हैं, जो सार्वजनकि संस्था, डेवलपरस, उप-अनुबंधकर्त्ता और आपूरतकिरत्ताओं को आशवासन देते हैं कठेकेदार परयोजना शुरु करते समय अपने संवदिात्मक दायतिव को पूरा करेगा।
 - **अनुबंध बॉण्ड** में बोली बॉण्ड, प्रदर्शन बॉण्ड, अग्रमि भुगतान बॉण्ड और प्रतधारण राश शामलि हो सकती है।
 - **बोली बॉण्ड**: यह एक उपकृत को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदबोली लगाने वाले को बोली दस्तावेजों के अनुसार एक अनुबंध से सम्मानति कयिा जाता है, लेकनि अनुबंध पर हस्ताकषर करने में वफिल रहता है।
 - **प्रदर्शन बॉण्ड**: यह आशवासन प्रदान करता है कयिदप्रसिपिल या ठेकेदार बंधुआ अनुबंध को पूरा करने में वफिल रहता है तो उपकृत की रक्षा की जाएगी। यदउपकृतकर्ता प्रसिपिल या ठेकेदार को डफिॉल्ट घोषति करता है और अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो यह ज़मानत प्रदाता को बॉण्ड के तहत ज़मानत के दायतिवों को पूरा करने के लिये कह सकता है।
 - **अग्रमि भुगतान बॉण्ड**: यदठेकेदार वनिरिदेशों के अनुसार, अनुबंध को पूरा करने में या अनुबंध के दायरे का पालन करने में वफिल रहता है, तो यह ज़मानत प्रदाता द्वारा अग्रमि भुगतान की बकाया राशकि भुगतान करने का वादा है।
 - **प्रतधारण राश**: यह ठेकेदार को देय राशकि एक हसिसा है, जसि अनुबंध के सफल समापन के बाद अंत में बनाए रखा जाता है और देय होता है।
- गारंटी की सीमा **अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं** होनी चाहयिे।
- ज़मानत बीमा अनुबंध केवल **वशिषिट परयोजनाओं के लिये जारी कयिे जाने चाहयिे और कई परयोजनाओं के लिये संयोजति नहीं** कयिे जाने चाहयिे।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/surety-bonds>

